

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां



प्रकरण संख्या : 2/2019

सरकार जय्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मांगरोल

....प्रार्थी

♠ बनाम ♠

माधोलाल पुत्र धूलीलाल वगै० जाति ब्राह्मण निवासी मांगरोल जिला बारां

....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

दायरा दिनांक: 07.01.2019

निर्णय दिनांक : 07.01.2019

पटवारी हल्का मांगरोल, भू अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) के जय्ये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत इस आशय का प्राप्त हुआ है कि कस्बा मांगरोल की वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2073-76 की आराजी खाता संख्या 813 खसरा नं० 3614 रकबा 1.33 है० खसरा नं० 3619 रकबा 0.75 है०, खसरा नं० 3620 रकबा 0.98 है० खसरा नं० 3684 रकबा 0.41 है०, खसरा नं० 3685 रकबा 0.64 है०, खसरा नं० 3689 रकबा 0.12 है० कुल कित्ता 6 रकबा 4.23 है० में खातेदार माधोलाल पुत्र धूलीलाल हिस्सा 1/2 शम्भूदयाल, कैलाश चन्द्र पुत्र मदनलाल शांती, कमला बिन्नो पुत्रीयां मदनलाल मथुरी बेवा मदनलाल हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण सा० देह मांगरोल सबटेनेन्ट शंकर, नारायण माली सा० देह दर्ज है।

उपरोक्त आराजी में वर्तमान सेटलमेंट सम्वत 2044-63 में खातेदारों के नाम निम्न प्रकार दर्ज है। माधोलाल पुत्र धूलीलाल हिस्सा 1/2 शम्भूदयाल, कैलाश चन्द्र पुत्र मदनलाल शांती, कमला बिन्नो पुत्रीयां मदनलाल मथुरी बेवा मदनलाल हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण सा० देह मांगरोल सबटेनेन्ट शंकर, नारायण माली सा० देह।

उपरोक्त आराजी में सम्वत 2034-37 में निम्न प्रकार से खातेदारों के नाम दर्ज थे:- माधोलाल पुत्र धूलीलाल हिस्सा 1/2 शम्भूदयाल, कैलाश चन्द्र पुत्र मदनलाल शांती, कमला बिन्नो पुत्रीयां मदनलाल मथुरी बेवा मदनलाल हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण सा० देह मांगरोल सबटेनेन्ट शंकर, नारायण माली सा० देह।

उपरोक्त आराजी में जमाबंदी सम्वत 2014-23 में खातेदारों के नाम दो प्रकार से उपभोक्ता एवं कृषक के रूप में दर्ज थे। उपभोक्ता:- माफी पून्यार्थ माधोलाल व मदनलाल पुत्र धूलीलाल जाति ब्राह्मण सा० श्योपुर हिस्सा बराबर। कृषक:- हीरा वल्द भागीरथ जाति गुर्जर हिस्सा 1/2 व माधोलाल, मदनलाल पुत्र धूलीलाल जाति ब्राह्मण सा० श्योपुर हिस्सा 1/2।

उपरोक्त आराजी खसरा नं० 3614 रकबा 1.33 है० खसरा नं० 3619 रकबा 0.75 है०, खसरा नं० 3620 रकबा 0.98 है० खसरा नं० 3684 रकबा 0.41 है०, खसरा नं० 3685 रकबा 0.64 है०, खसरा नं० 3689 रकबा 0.12 है० कुल किता 6 रकबा 4.23 है० का मौका देखा गया। मौका देखने पर उक्त सभी खसरा नम्बरान पर माधोलाल का एवं मदनलाल के वारिसान का ही कब्जा काश्त होना पाया गया है। उक्त में से कीसी भी खसरा संख्या पर शंकर नारायण माली वगै० का कब्जा काश्त होना नहीं पाया गया है और वर्तमान में कस्बा मांगरोल में शंकर नारायण नाम से कोई व्यक्ति निवास नहीं करता है एवं न ही इनके कोई वारिसान यहा मौजूद है। अतः उक्त खाते में दर्ज सब टिनेन्ट शंकर नारायण माली के नाम को हटाये जाने की अनुशंसा की जाती है।

उक्त प्रकार का प्रार्थना पत्र जर्गे लैण्ड होल्डर प्राप्त होने पर प्रकरण दिनांक 07.01.2019 को दर्ज रजिस्टर किया गया।

अतः प्रार्थना पत्र के समस्त सलंगन दस्तावेजात 1. हाले नकल जमाबंदी 2073-76 खाता संख्या 813 2. सेटलमेंट पूर्व जमाबंदी खेवट खतौनी (2034-2037) 3. खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2014-2023 छायाप्रति की रोशनी में प्रकरण का भली प्रकार अध्ययन, अवलोकन एवं मनन के उपरान्त आदेश है कि पुरानी प्रविष्टि ग्राम "मांगरोल की वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2073-76 की आराजी खाता संख्या 813 खसरा नं० 3614 रकबा 1.33 है० खसरा नं० 3619 रकबा 0.75 है०, खसरा नं० 3620 रकबा 0.98 है० खसरा नं० 3684 रकबा 0.41 है०, खसरा नं० 3685 रकबा 0.64 है०, खसरा नं० 3689 रकबा 0.12 है० कुल किता 6 रकबा 4.23 है० में खातेदार माधोलाल पुत्र धूलीलाल हिस्सा 1/2 शम्भूदयाल, कैलाश चन्द्र पुत्र मदनलाल शांती, कमला बिन्नो पुत्रीयां मदनलाल मथुरी बेवा मदनलाल हिस्सा 1/2 जाति ब्राहमण सा० देह मांगरोल सबटेनेन्ट शंकर, नारायण माली सा० देह" को हजफ कर नवीन इन्द्राज " मांगरोल की वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2073-76 की आराजी खाता संख्या 813 खसरा नं० 3614 रकबा 1.33 है० खसरा नं० 3619 रकबा 0.75 है०, खसरा नं० 3620 रकबा 0.98 है० खसरा नं० 3684 रकबा 0.41 है०, खसरा नं० 3685 रकबा 0.64 है०, खसरा नं० 3689 रकबा 0.12 है० कुल किता 6 रकबा 4.23 है० में खातेदार माधोलाल पुत्र धूलीलाल हिस्सा 1/2 शम्भूदयाल, कैलाश चन्द्र पुत्र मदनलाल शांती, कमला बिन्नो पुत्रीयां मदनलाल मथुरी बेवा मदनलाल हिस्सा 1/2 जाति ब्राहमण सा० देह मांगरोल" दर्ज का राजस्व रेकार्ड में अंकन कर पालना से अन्दर 15 योम में अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर शुमार से कम होकर दाखिल होवे।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2019 को सरेइजलास मजमेंआम में सुन